न्यायालय सहायक कलक्टर (FT), मावली जिला उदयपुर

पीठासीन अधिकारी : रमेश सीरवी पुनाडिया, R.A.S.

राजस्व वाद संख्या : **24/21 (वाद)**

GCMS No. : 2021/47

1. श्रीमती बबलु कुंवर पुत्री चतरसिंह पत्नी मनोहरसिंह राजपूत निवासी सिरोडी तहसील आमेट जिला राजसमन्द।

.....वादीया

बनाम्

1. श्री चतरसिंह पिता मोखमसिंह राजपूत निवासी चुण्डावतखेडी तहसील मावली।
2. श्रीमती मीठुकुंवर पत्नी चतरसिंह राजपूत निवासी चुण्डावतखेडी तहसील मावली।
3. श्री मोहनसिंह पिता मोखमसिंह राजपूत निवासी चुण्डावतखेडी तहसील मावली।
4. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार मावली तहसील मावली।
5. उप पंजीयक अधिकारी सनवाड तहसील मावली।

.....प्रतिवादीगण

उपस्थित–1. श्री कल्याणसिंह राव, अधिवक्ता वादीया।

वाद अन्तर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

:: निर्णय ::

दिनांक : 29.07.2025

1. वादीया द्वारा वादपत्र अन्तर्गत धारा 88–188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया कि मौजा चुण्डावतखेडी पटवार हल्का बडगांव तहसील मावली के आराजी नम्बर 226, 227, 228, 229, 230, 239, 304, 313, 451, 83, 95, 96 किता 12 कुल रकबा 2.4281 हेक्टेयर भूमि वर्तमान राजस्व रेकार्ड जमाबन्दी में प्रतिवादी संख्या 1 एवं प्रतिवादी संख्या 3 व श्रीमती रसालकुंवर पत्नी मोखमसिंह राजपूत जिनका देहावसान हो चुका है, के नाम हिस्से अनुसार संयुक्त खातेदारी हक से दर्ज है।
2. यह कि वादीया का सजरा खानदान निम्न है :–

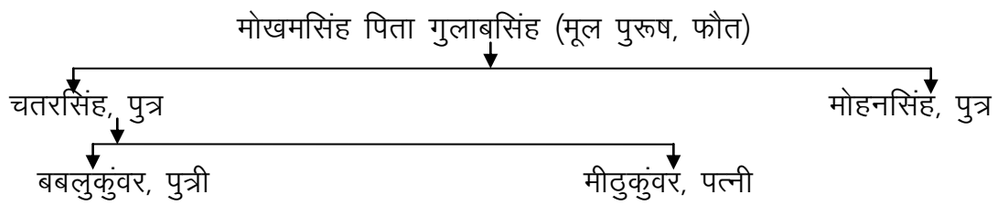

उपरोक्त सजरे में वर्णनानुसार मूल पुरूष मोखमसिंह पिता गुलाबसिंह जिनका देहावसान हो चुका। मूल पुरूष मोखमसिंह की पत्नी

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2026.03.12 13:36:22 IST
Reason: SelfAttested

श्रीमती रसालकुंवर का भी देहावसान हो चुका है, स्वर्गीय मोखमसिंह के पुत्रान् चतरसिंह व मोहनसिंह हुए, चतरसिंह के विधिक वारिसान उत्तराधिकारीगण में वादीया जायन्दा पुत्री एवं प्रतवादी संख्या 2 मीठुकुंवर, पत्नी विधिक वारिसान उत्तराधिकारीगण हैं।

3. यह कि वादीया चतरसिंह पिता मोखमसिंह राजपूत की जायन्दा पुत्री होकर विधिक वारिस उत्तराधिकारिणी है, वादीया चतरसिंह की विधिक वारिस उत्तराधिकारिणी होने से उक्त वाद पत्र में वर्णित कृषि भूमि जो पैतृक कृषि भूमि (सम्पति) है, उक्त मौरूसी प़ैतृक कृषि भूमि जो वर्तमान राजस्व रेकर्ड जमाबंदी में प्रतिवादी संख्या 01 के नाम 5/12 हिस्से से खातेदारी में दर्ज है, पिता के नाम अंकित उक्त कृषि भूमि में वादीयां का जन्म से ही हक अधिकार होकर हिस्सा है, क्योंकि उक्त कृषि भूमि पैतृक कृषि भूमि (सम्पति) हो उक्त कृषि भूमि वादीयां को चतरसिंह की जायन्दा पुत्री अर्थात विधिक वारिस उत्तराधिकारिणी होने से उक्त पैतृक कृषि भूमि में जन्म से ही हक अधिकार प्राप्त हो वादीयां उक्त कृषि भूमि की हिस्से अनुसार मालिक स्वामिनी है, वादीयां उक्त पैतृक कृषि भूमि में अपने पिता के नाम अंकित हिस्सा कृषि भूमि में अपने हक हिस्से की घोषणा कराने एवं राजस्व रेकर्ड में अपने नाम का अंकन कराने की अधिकारिणी है।

4. यह कि वादीयां का प्रथम दृष्टया मामला है तथा सुविधा संतुलन एवं अशोधनीय क्षति के बिन्दु भी वादीयां के पक्ष में है, क्यूंकि वादीयां प्रतिवादी संख्या 01 चतरसिंह की जायन्दा पुत्री होकर विधिक वारिस है तथा उक्त वाद पत्र में वर्णित कृषि भूमि मौरूसी सम्पत्ति होकर उक्त कृषि भूमि में वादीयां को जन्म से ही हक अधिकार होकर हिस्सा है, लेकिन चूंकि उक्त कृषि भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड जमाबंदी में प्रतिवादी संख्या 01 के नाम हिस्से अनुसार खातेदारी में दर्ज होने से प्रतिवादी संख्या 01 लोभ व लालच की भावना से वशीभूत हो भूमि दलालों के सम्पर्क में हो, उक्त पैतृक कृषि भूमि में अपने नाम अंकित सम्पूर्ण हक हिस्सा कृषि भूमि को प्रतिवादी संख्या 01 व प्रतिवादी संख्या 02 मिलीभगत कर भू–माफियाओं से मिलकर मुझ वादीयां को उक्त पैत्रक कृषि भूमि में अपने हक हिस्से से हमेशा के लिए महरूम रख एवं मुझ वादीयां का हक स्वत्व खत्म करने व मुझ वादीयां को रंज व नुकसान पहुंचाने कि नियत से उक्त पैतृक कृषि भूमि को किसी अन्य को विक्रय, रहन, बेह, बक्षीस एवं अन्य प्रकार से

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2026.03.12 13:36:22 IST
Reason: SelfAttested

हस्तान्तरण करने पर उतारू है व मुझ वादीयां को अपने हक अधिकार हिस्से से हमेशा के लिए वंचित कर देने पर उतारू है, जबकि प्रतिवादी संख्या 01 को ऐसा करने का कोई विधिक अधिकार नहीं है, यदि प्रतिवादी संख्या 01 अपने नाम अंकित उक्त सम्पूर्ण हक हिस्सा कृषि भूमि को भूमाफियाओं से मिलकर किसी अन्य को विक्रय, रहन, बैह, बक्षीस या अन्य प्रकार सें हस्तान्तरण कर देगा व उक्त पैतृक कृषि भूमि में मुझ वादीया को अपने हक हिस्से से हमेशा के लिए वंचित कर देगा तो मैं वादीयां उक्त पैतृक कृषि भूमि में अपने हक हिस्से व अधिकार से हमेशा वंचित हो जांउगी, जिससे मुझ वादीयां को भारी अशोधनीय क्षति होगी जिसका मूल्यांकन मुद्रा में किया जाना असंभव होगा, हितों की रक्षा के लिए प्रतिवादीगण के विरूद्ध स्थायी निषेधाज्ञा जारी कराया जाना नितान्त आवश्यक हो गया है, स्थायी निषेधाज्ञा जारी होने से प्रतिवादीगण को किसी प्रकार का कोई नुकसान होने वाला नहीं है।

5. यह कि वाद कारण दिनांक 18.04.2021 को उत्पन्न हुआ जब वादीयां द्वारा उक्त पैतृक कृषि भूमि में प्रतिवादी संख्या 01 के नाम अंकित हिस्सा भूमि में अपने हक हिस्से की घोषणा कराने एवं राजस्व रेकर्ड में अपने नाम का अंकन कराने हेतु कहा तो प्रतिवादी संख्या 01 इन्कार हो गया एवं मुझ वादीयां को अपने हक अधिकार, हिस्से से हमेशा के लिए वंचित कर उक्त हिस्सा कृषि भूमि को खुर्द–बुर्द कर अन्य अजनबी व्यक्तियों को हस्तान्तरण करने की धमकी दी तब उत्पन्न हुआ व उत्पन्न होकर निरन्तर जारी है।

6. अन्त में निवेदन किया कि वादीयां के पक्ष मे विरूद्ध प्रतिवादीगण इस अमर की डिक्री प्रदान करायी जावे कि वादपत्र में वर्णित पैतृक कृषि भूमि (सम्पत्ति) में वादीयां का जन्म से ही हक अधिकार होकर हिस्सा है, उक्त पैतृक कृषि भूमि (सम्पत्ति) में प्रतिवादी संख्या 01 के हक हिस्से में वादीयां के हक हिस्से कि घोषणा करायी जावे तथा राजस्व रिकार्ड जमाबंदी में वादीयां के नाम का अंकन कराया जावे। वादीयां के पक्ष में विरूद्ध प्रतिवादीगण इस अमर की स्थायी निषेधाज्ञा जारी फरमाई जावें कि प्रतिवादीगण उक्त वादपत्र में वर्णित पैतृक कृषि भूमि (सम्पत्ति) जिसमें वादीयां का जन्म से ही हक अधिकार होकर हिस्सा है, प्रतिवादी संख्या 01 वादीयां को अपने हक हिस्से से वंचित नहीं करें, न प्रतिवादीगण उक्त पैतृक कृषि भूमि (सम्पत्ति) जिसमें वादीयां का जन्म से ही हक अधिकार होकर हिस्सा है, प्रतिवादी संख्या 01 वादीयां को अपने हक हिस्से

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Singh Punadia
Date: 2026.03.12 13:36:22 IST
Reason: SelfAttested

से वंचित नहीं करें, न प्रतिवादीगण उक्त पैतृक कृषि भूमि (सम्पत्ति) को ताफैसला मूल वाद के निर्णय तक किसी अन्य को विक्रय, रहन, बैह, बक्षीस या अन्य प्रकार से हस्तान्तरण नहीं करे, न खुर्द–बुर्द करे, प्रतिवादीगण रेकर्ड एवं मौके की यथावत स्थिति बनाए रखे। इस अमर की स्थायी निषेधाज्ञा वादीयां के पक्ष में विरूद्ध प्रतिवादीगण जारी फरमाई जावे।

7. पत्रावली दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 1 से 3 बावजूद सूचना अनुपस्थित रहने से इनके विरूद्ध पूर्व में एकतरफा कार्यवाही के आदेश पारित किये जा चुके हैं। प्रकरण में तनकीयात कायमी की आवश्यकता नहीं होने से साक्ष्य वादीयां प्रारम्भ की गई। साक्ष्य वादीयां के तहत गवाह पी.डब्ल्यू 1 स्वयं वादीयां बबलु कुंवर द्वारा शपथ पत्र प्रस्तुत कर दस्तावेजात मौजा चुण्डावतखेडी की नकल जमाबंदी संवत् 2077–80 की खाता संख्या 72 प्रदर्श 1, नकल जमाबन्दी सम्वत् 2059–62 की खाता संख्या 282 प्रदर्श 2 करवाये गये।

8. प्रकरण में अधिवक्ता वादीया की एकतरफा दावा बहस सुनी गई। अधिवक्ता वादीया द्वारा अपनी बहस में वाद पत्र में अंकित तथ्यो को दौहराते हुए वादीयां के वाद पत्र को स्वीकार किये जाने का निवेदन किया।

9. हमने अधिवक्ता वादीया की एकतरफा बहस पर बगौर मनन किया। पत्रावली का अवलोकन किया। दस्तावेजात का अध्ययन किया। हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे की वादपत्र के ध्यानपूर्वक अवलोकन से यह बात निर्विवादित रूप से स्पष्ट है कि वादीया स्वयं अपने वाद पत्र के अनुसार वादग्रस्त भूमि अपने दादा मोखमसिंह के नाम पर दर्ज होना बता रही है। इससे पूर्व वादग्रस्त भूमि किसके नाम दर्ज थी, इस संबंध में किसी प्रकार का कोई कथन नही किया। वादग्रस्त आराजियात मोखमसिंह की होने के कारण उनकी मृत्यु के पश्चात धारा 8 हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम 1956 के अनुसार उनके प्रथम श्रेणी के उत्तराधिकारी में निहित हुई। जिसमें प्रतिवादी संख्या 1 भी प्रथम श्रेणी का वारिस है। इस प्रकरण में विवाद मात्र प्रतिवादी संख्या 1 श्री चतरसिंह के हिस्से की सम्पत्ति तक ही सीमित है और प्रतिवादी संख्या 1 श्री चतर सिंह जीवित है। वादीया द्वारा अपने वाद पत्र में यह भी कही स्पष्ट नही किया कि वादग्रस्त भूमि किस प्रकार से संयुक्त हिन्दु परिवार की संयुक्त मौरूसी सम्पत्ति है। इस संबंध न्यायिक दृष्टांत ए.आई.आर. 2016 देहली [illegible] नम्बर 120 के अवलोकन से भी

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2026.03.12 13:36:22 IST
Reason: SelfAttested

यह स्पष्ट है कि वादीया को अपने वाद मे यह बताना आवश्यक है कि वादग्रस्त सम्पत्ति मौरूसी किस प्रकार से है। इस न्यायिक दृष्टांत में यह दर्शाया गया है कि " No averment in the plaint that grandfather of claimant inherited property(S) from his paternal ancestors prior to 1956 – properties in the hands of late grandfather cannot be HUF properties in his hands – It can be said that suit does not disclose cause of action and hence liable to be dismissed." उक्त न्यायिक दृष्टांत में माननीय न्यायालय द्वारा यह निर्धारित किया गया है कि किसी भी वाद में मात्र यह अंकित कर देना कि वादग्रस्त आराजियात मौरूसी सम्पत्ति है पर्याप्त नही है। वादीया को अपने वादपत्र में बताना होगा कि वादग्रस्त आराजियात किस प्रकार से मौरूसी सम्पत्ति है एवं मूल पुरूष की मृत्यु सन् 1956 ई. के पूर्व हुई है अथवा बाद में तथा सन् 1956 के पूर्व एच.यू.एफ. बनी थी अथवा नही। वादीया के दादा को उक्त संपत्ति कैसे प्राप्त हुई यह तथ्य वादीया को आवश्यक रूप से वाद में बताना चाहिए था। यदि वादपत्र में यह स्थिति वर्णित नही है तो किसी भी सम्पत्ति को मौरूसी सम्पत्ति नही माना जा सकता एवं ऐसी स्थिति में वादीया का वाद कोई भी वादकारण दर्शित नही करता है। वादीया द्वारा प्रस्तुत हस्तगत वादपत्र में भी ऐसे कोई तथ्य वर्णित नही किये गये है जिससे यह स्पष्ट रूप से प्रकट होता हो कि वादग्रस्त आराजियात किस प्रकार से संयुक्त हिन्दु परिवार की अविभक्त मौरूसी सम्पत्ति है। उपर्युक्त विवेचन के आधार पर वादीया का वाद हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 8 से बाधित होने के कारण खारिज योग्य पाया जाता है।

—: : आदेश : :—

परिणामस्वरूप वादीया का वाद अन्तर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का मेन्टेबल नहीं होने से अस्वीकार कर खारिज किया जाता है। डिक्री पर्चा पृथक से जारी हो। पत्रावली फैसल सुमार होकर नम्बर से कम हो ।

निर्णय आज दिनांक 29.07.2025 को लिखवाया जाकर खुले ईजलास सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2026.03.12 13:36:22 IST
Reason: SelfAttested

(रमेश सीरवी पुनाडिया R.A.S.)
सहायक कलक्टर
(FT) मावली

डिक्री व मुकद्धमें इब्तदाई

(आ 20 रुल 6–7 जाब्ता दीवानी)

न्यायालय सहायक कलक्टर फास्ट ट्रेक मावली

बईजलास रमेश सीरवी पुनाडिया, आर.ए.एस.

उनवान्

1. श्रीमती बबलु कुंवर पुत्री चतरसिंह पत्नी मनोहरसिंह राजपूत निवासी सिरोडी तहसील आमेट जिला राजसमन्द।

.....वादीयां

बनाम्

1. श्री चतरसिंह पिता मोखमसिंह राजपूत निवासी चुण्डावतखेडी तहसील मावली।
2. श्रीमती मीठुकुंवर पत्नी चतरसिंह राजपूत निवासी चुण्डावतखेडी तहसील मावली।
3. श्री मोहनसिंह पिता मोखमसिंह राजपूत निवासी चुण्डावतखेडी तहसील मावली।
4. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार मावली तहसील मावली।
5. उप पंजीयक अधिकारी सनवाड तहसील मावली।

.....प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

मुकदमा न0 : 24/21 (वाद) GCMS No. – 2021/47

यह मुकद्धमा आज वास्ते इन्फिसाल कतई रुबरु रमेश सीरवी पुनाडिया, R.A.S. मिनजानिब मुद्धायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिक्री दी जाती है कि :–

वादीया का वाद अन्तर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का मेन्टेबल नहीं होने से अस्वीकार कर खारिज किया जाता है।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत से आज तारीख 29.07.2025 को जारी की गई।

(रमेश सीरवी पुनाडिया R.A.S.)
सहायक कलक्टर
(FT) मावली

Signature Not Verified

Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2026.03.12 13:36:22 IST
Reason: SelfAttested